



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271233  
CG-DL-E-24032026-271233

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1444]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2026/ चैत्र 2, 1948

No. 1444]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2026/ CHAITRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

का.आ. 1509(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), प्रकाशित में अधिसूचना संख्या का. आ. 1273 (अ), तारीख 19 मार्च, 2025 को प्रकाशित की गयी थी, में एतद् द्वारा निम्न लिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

- (क) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 14 पर अंकित गाँव का नाम " िन्दुर" के स्थान पर प्रविष्टि "इंदूर" प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (ख) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 14 पर अंकित गाँव का नाम " ागणापारा" के स्थान पर प्रविष्टि "अगनापारा " प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (ग) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 36 पर अंकित गाँव का नाम "हटिनशा शमशपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "हतिन्शा शम्शपुर " प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (घ) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 38 पर अंकित गाँव का नाम "पावहि" के स्थान पर प्रविष्टि "पवही" प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (ङ) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 41 पर अंकित गाँव का नाम " खपरवा " के स्थान पर प्रविष्टि " खपुरवा " प्रतिस्थापित की जाएगी।

- (च) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 44 पर अंकित गाँव का नाम "नान्दोलिया " के स्थान पर प्रविष्टि "नन्दोलिया" प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (छ) अनुसूची के पृष्ठ संख्या 25 पर अंकित गाँव का नाम "भकला" में कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 743 पर अंकित गाटा संख्या 537 के कॉलम संख्या 4 भूमि की प्रकृति में अंकित "रिक्त स्थान" के स्थान पर प्रविष्टि "कृषि " प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. NHAI/26016/LA/2023/Notification/PIU/Lucknow/3ACorr]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd March, 2026

**S.O. 1509(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government, hereby make the following amendments in the Notification Number S.O. 1273 (E), Dated the 19 March, 2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii), in the schedule to the said Notification:-

- (a) On page number 14 of the Schedule, the Village Name "Indur" shall be substituted by "Indur"
- (b) On page number 14 of the Schedule, the village Name "Aganapara" shall be substituted by "Aganapara"
- (c) On page number 36 of the Schedule, the Village Name "Hatinsha Shamshpur" shall be substituted by "Hatinsha Shamshpur"
- (d) On page number 38 of the Schedule, the Village Name "Pawahi" shall be substituted by "Pawahi"
- (e) On page number 41 of the Schedule, the Village Name "Khaparwa" shall be substituted by "Khapurwa"
- (f) On page number 44 of the Schedule, the Village Name "Nandoliya" shall be substituted by "Nandoliya"
- (g) On page number 25 of the schedule, at Serial number 743 in Nature of Land for Gata no. 537 "Agriculture" shall be inserted.

[F. No. NHAI/26016/LA/2023/Notification/PIU/Lucknow/3ACorr]

SHAIKH AMINKHAN, Director